न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
नियमित जमानत आवेदन सं0– 63/2026
आदेश

28.04.2026 यह नियमित जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त आकाश कुमार उर्फ गोविन्द कुमार की ओर से दाखिल किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 191(2), 191(3), 190, 118(1), 109, 308(3), 351 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दर्ज बिक्रमगंज थाना कांड सं0 78/2025 में दिनांक 20.01.2026 से कारा में है तथा उक्त वाद वर्तमान में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार सिन्हा को सुना, सूचक के विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवजी पाण्डेय को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीकांत सिंह को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 06.02.2025 को सुबह 9.30 बजे सूचक के गांव के ही लगभग 15 लोग जिनमें मदन सिंह, राजेश सिंह, ददन सिंह, प्रभुनाथ सिंह उर्फ कृष्णा सिंह, विकास कुमार, आकाश कुमार उर्फ गोविंद कुमार, कमलेश सिंह, अंशु कुमार, राजवंश मोहन कुमार उर्फ चंद्रकांत, मुन्ना सिंह, विवेक कुमार, रितेश कुमार, संदीप कुमार उर्फ जानू कुमार, आर्यन कुमार शामिल हैं, सूचक के घर आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिए। इस क्रम में सूचक और मनोज कुमार को गोली लगी। अभियुक्तों ने रामजी सिंह को रायफल की बट और डंडे से मारा, जिससे उसे गंभीर चोट आई। सभी अभियुक्त रंगदारी मांगते थे और जाने से मारने की धमकी देते थे। इस घटना को कई लोगों ने देखा भी था।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त के द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 428/2025 दाखिल किया गया था, जिसे आवेदक अभियुक्त के द्वारा वापस ले लिया गया था। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त को पूर्व की दुश्मनी और ग्रामीण राजनीति के कारण इस मामले में झूठा फंसा दिया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट अभियोग नहीं है। आवेदक अभियुक्त के कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु की बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक अभियुक्त का चार आपराधिक इतिहास है, जिसमें वह जमानत पर है। आवेदक अभियुक्त इस वाद में दिनांक 20.01.2026 से कारा में है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक

लगातार
28.04.2026

अभियुक्त के जमानत आवेदन का विरोध किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक अभियुक्त इस वाद के प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त हैं। आवेदक अभियुक्त का बिहार निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अधीन आपराधिक इतिहास है, जिसमें वह जमानत पर है। आवेदक अभियुक्त के सचेतन कब्जे से कोई बरामदगी नहीं है। उभय पक्षों के बीच मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद उत्पन्न होने की बात कही जाती है। आवेदक अभियुक्त इस वाद में दिनांक 20.01.2026 से कारा में है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों एवं आवेदक अभियुक्त के द्वारा कारा में बिताई गई अवधि पर विचार करने के पश्चात यह आदेश दिया जाता है कि यदि आवेदक अभियुक्त की ओर से 7000/–रूपये की समान राशि के दो प्रतिभू सहित, विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार, बंधपत्र निष्पादित किया जाता हैं, तो उसे जमानत पर **मुक्त** कर दिया जायेगा।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।